



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण 1937 (श10)
(सं0 पटना 856) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जुलाई 2015

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचनाएं

29 जुलाई 2015

सं0 10/रा.म.स. नीति-27/2015-3483—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निबंधन फीस तालिका के अधीन अनुच्छेद संख्या A(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं:—

अनुच्छेद संख्या	दस्तावेज के प्रकार	फीस की दरें
A(1)	विक्रय-पत्र एवं दान-पत्र	(क) पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में 1.9% (ख) महिला से पुरुष को अंतरण की स्थिति में 2.1% (ग) अन्य परिस्थितियों में 2%

(2) उक्त फीस तालिका की दरें अधिसूचना-निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सरकार के सचिव।

29 जुलाई 2015

सं० 10/रा.म.स.नीति-27/2015-3483—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सरकार के सचिव।

The 29th July 2015

No. 10/Ra.M.S. Neeti-27/2015-3483—In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908 the Governor of Bihar is pleased to substitute the Article No. A(1) of the Table of fee by the following: -

Article No.	Types of Document	Rates of fee
A(1)	Sale deed & Gift Deed	(a) in case of transfer from male to female 1.9%, (b) in case of transfer from female to male 2.1%, (c) in any other case 2%.

(2) Rates of said table of fees shall be effective from the date of issuance of the notification.

By Order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 856-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>